रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-474/2023/1314/22-2-2023-21(11)/2020

लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पाण्डेय (बन्दी संख्या-17002) पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय निवासी-सोहिन्दापुर, पोस्ट-घिरौली बाबू, थाना-छावनी, जनपद-बस्ती, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-116/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201, 120बी के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई, कोर्ट संख्या-1, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 01.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04-04-2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21-05-2020 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 05-04-2023 तक 16 वर्ष 08 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 08 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा एवं वर्तमान में जेल आचरण अच्छा होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

संख्या-474/2023/1314(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

3- पुलिस अधीक्षक, बस्ती।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित आवमानना वाद (सिविल) संख्या-1041/2023 चन्द्रभान पाण्डेय बनाम राजेश कुमार सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in